

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक प.1(1)चिस्वा/2/2017

जयपुर, दिनांक : 04.07.2017

आदेश

विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 02.05.2017 के द्वारा टीबीसी सेन्टरों पर लगाये गये चिकित्सकों में से निम्न चिकित्सकों ने आज दिनांक तक संबंधित टीबीसी सेन्टरों पर पर कार्यग्रहण नहीं किया है:-

क्र.सं.	नाम अधिकारी व पद	कार्य-व्यवस्था के तहत पदस्थापन स्थान
1	डा. कान्ति लाल मेघवाल, चिकित्सा अधिकारी	टी. बी. सी., डूंगरपुर
2	डा. जितेन्द्र सौलंकी, चिकित्सा अधिकारी	टी. बी. सी., जालौर
3	डा. हेमराज मीना, चिकित्सा अधिकारी (टी. बी.)	टी. बी. सी., झालावाड
4	डा. दिलीप गोयल, चिकित्सा अधिकारी	टी. बी. सी., झालावाड
5	डा. रामगोपाल सैनी, चिकित्सा अधिकारी	टी. बी. सी., प्रतापगढ़
6	डा. प्रदीप पचार, कनिष्ठ विशेषज्ञ (टी. बी.)	टी. बी. सी., चुरू


उक्त चिकित्सकों को निर्देशित किया जाता है कि वे सात दिवस में संबंधित टी. बी. सी. सेन्टर पर आवश्यक रूप से कार्यग्रहण कर कार्यग्रहण की सूचना इस विभाग एवं निदेशक, जन स्वास्थ्य को उपलब्ध करायेंगे, अन्यथा की स्थिति में सीसीए नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,


शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- विशिष्ट सचिव, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय/मा. राज्यमंत्री महोदय।
- 2- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
- 3- निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर।
- 4- राज्य क्षय रोग अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर।
- 5- संबंधित प्रधानाचार्य एवं अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, राजस्थान
- 6- संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान
- 7- संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, राजस्थान
- 8- संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान
- 9- संबंधित अधिकारी
- 10- कम्प्यूटर सेल/निजी /रक्षित पत्रावली
- 11- प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश आज ही विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।


शासन सहायक सचिव